(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

समुन्दलाल पुत्र जरसू जाति मेघवंशी निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं	अनिल कुमार पुत्र अजीतसिंह जाति मेघवाल निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं आदि
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी।	मु.नं. ...125.. / 2024 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
01 / 07 / 2024	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील **श्री सज्जन कुमार चाहर** द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में **प्रतिवादी नम्बर 18** को भी पक्षकार बनाया गया है जो राज्य सरकार का लोक सेवक है। लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में दावा करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है। लेकिन मामला अति आवश्यक प्रकृति का है अगर वादी **प्रतिवादी नम्बर** 18 को दो माह का विधिक नोटिस देकर दावा पेश करता है तो वादी का दावा पेश करने का उदेश्य ही असफल हो जायेगा इसलिए वादीगण को **प्रतिवादी नम्बर** 18 के विरूद्ध दावा दायरी की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को **प्रतिवादी नम्बर** 18 के खिलाफ बिना विधिक नोटिस के दावा पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधीवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। **प्रतिवादी नम्बर** 18 राजकीय कर्मचारी है। एवं दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस **प्रतिवादी नम्बर** 18 को नही दिया गया है नोटिस बिना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र **प्रतिवादी नम्बर** 18 आपतियों को सुरक्षित रखते हुये प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 01 / 07 / 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	